न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस
अपील संख्या : 136/2020
निर्णय दिनांक :

1. सजना देवी पुत्री छोटूराम पत्नि मक्खनलाल जाति अहीर निवासीः फतेहपुरा (भोमियान) तहसील खण्डेला जिला सीकर हाल निवासी लालसर तन कैरपुरा तहसील खण्डेला, जिला सीकर।
2. छोटी देवी पुत्री छोटूराम पत्नि देबूराम जाति अहीर निवासीः फतेहपुरा (भोमियान) तहसील खण्डेला जिला सीकर हाल निवासीः ढाणी बरकडा तन कोटडी लुहारवास, तहसील खण्डेला, जिला सीकर।
3. राधा देवी पुत्री छोटूराम पत्नि बजरंगलाल जाति अहीर निवासी फतेहपुरा (भोमियान) तहसील खण्डेला जिला सीकर हाल निवासी वैद की ढाणी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

..... अपीलार्थीगण

बनाम

1. फूलाराम पुत्र छोटूराम
2. कमली देवी पत्नि मोहनलाल
3. गोकली देवी पुत्री मोहनलाल
4. संतोष देवी पुत्री मोहनलाल
5. सुनिता देवी पुत्री मोहनलाल
6. सोहनी देवी पुत्री मोहनलाल
7. शंकर पुत्र छोटूराम
8. मंगला पुत्र नानगा
9. मूला पुत्र रामू
   ज़ाति अहीर निवासीः फतेहपुरा (भोमियान) तहसील खण्डेला, जिला सीकर।
10. तहसीलदार खण्डेला, तहसील खण्डेला, जिला सीकर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 22.10.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर वाद पत्र संख्या 115/2014 उनवान फूलाराम व अन्य बनाम मंगला व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

:—निर्णय—:

दिनांक 09/9/2021

1. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नंबर 2738 से 2740, 2855, 2897 व 2898 कुल किता 6 कुल रकबा 6.19 हैक्टेयर तन ग्राम खण्डेला में स्थित है, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम गलत खातेदारी दर्ज है। तन ग्राम खण्डेला में स्थित भूमि खसरा नंबर 2900 व 2906 कुल किता 2 कुल रकबा 1.70 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 के नाम 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज है जो भी गलत दर्ज है तथा ग्राम फतेहपुरा भोमियान के भूमि खसरा नंबर 143, 323 व 325 कुल किता 3 कुल रकबा 4.99 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा वादीगण व 1/2 हिस्सा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत दर्ज है तथा खसरा नंबर 62, 74, 76, 78 से 80, 103 से 106, 109 से 113 एवं 116 कुल किता 16 कुल रकबा 8.56 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 2 व वादीगण के नाम 1/8, 1/8 हिस्सा व नानूडी के नाम खातेदारी दर्ज है तथा खसरा नंबर 43, 44 व 69 कुल किता 3 कुल रकबा 1.42 हैक्टेयर में वादीगण के नाम 1/8 एवं प्रतिवादी संख्या 2 के 1/8 हिस्सा की खातेदारी दर्ज है तथा खसरा नंबर 45 रकबा 2.35 हैक्टेयर में वादीगण व नानूडी तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8, 1/8 हिस्सा दर्ज है जो भी गलत दर्ज है तथा खसरा नंबर 66 से 68 व 70 कुल किता 4 कुल रकबा 5.08 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा में वादीगण, प्रतिवादी नंबर 2 एवं प्रतिवादी नंबर 1 के पिता नानगा के नाम दर्ज है तथा खसरा नंबर 169 रकबा 3.06 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा की भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की है तथा शेष सहखातेदारान की है। वाद में वर्णित भूमि मृतक भज्जू के कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमियां है तथा भज्जू की मृत्यु के पश्चात् भज्जू के तीनों पुत्र रामू, नानगर व छोटू ने मौके पर बाहमी विभाजन कर तदानुसार काबिज काश्त रहे है तथा रामू, नानगा व छोटू की मृत्यु के पश्चात् इनके वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज काश्त है। प्रथम सेटलमेन्ट के कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती एवं लापरवाही से उक्त भूमियों में से कुछ भूमि भज्जू के बडे पुत्र के नाम दर्ज कर दी तथा नानगा व छोटू के नाम दर्ज नहीं की तथा खसरा नंबर 66 से 68 व 70 कुल किता 4 कुल रकबा 5.08 हैक्टेयर की भूमि में रामू, नानगा व छोटू के नाम सही दर्ज हुई लेकिन शेष भूमियां में नानगा के नाम खातेदारी दर्ज नहीं हुई एवं रामू व छोटू के नाम खातेदारी दर्ज हो गई जो गलत है। जो खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 तथा मृतक नानगा के नाम दर्ज है वे समस्त भूमियां वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की मौरूसी भूमि है तथा वादी संख्या 1 से 3 के पिता मृतक छोटू, प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मृतक नानगा एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता मृतक रामू का कानूनन बराबर हिस्से के हक अधिकारी है इसी भांति घोषणा करवाकर खातेदारी अपने–अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पितागण ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है एवं वादीगण अपने बाहमी विभाजन में आई भूमि पर काबिज काश्त है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के जो भूमि आई उस पर दोनो शामिल में काबिज काश्त है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को मौके पर कब्जा काश्त अनुसार अपना रिकॉर्ड दुरूस्त कराने एवं तदानुसार खातेदारी दर्ज कराने के लिये कहा है परन्तु आश्वासन देकर टालते रहे है एवं अब मन में बेईमानी आ गई है इसलिए खातेदारी दर्ज कराने में आना–कानी कर रहे है एवं कहते है कि भूमियों का पुनः विभाजन करेगे तथा तब तक काश्त नहीं करने देगें। वादीगण ने लाखों रूपये खर्च कर अपनी भूमियों का विकास किया है तथा उपजाऊ बनाया है वर्षो पूर्व किया विभाजन को इंकार करने का कोई हक अधिकार नहीं है इसलिये वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का हक अधिकारी है। मुताबिक बाहमी विभाजन ग्राम खण्डेला की तन के भूमि खसरा नंबर 2855, 2897, 2738 से 2740 की सम्पूर्ण भूमि वादीगण के हक हिस्सा एवं बांट में आई है, तदानुसार मौके पर काबिज काश्त है एवं खसरा नंबर 2898 की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर काबिज काश्त है तथा ग्राम फतेहपुरा भोमियान की भूमि में खसरा नंबर 325 की भूमि वादीगण के तथा खसरा नंबर 143 व 323 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के आई है इसी भांति काबिज काश्त है। खसरा नंबर 62, 74 से 76, 78 से 80, 103 से 106, 109 से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

111 व 113, 116 में मूला पुत्र नानगा रिकार्ड में गलत दर्ज है सही मूला पुत्र रामू है इस भूमि में जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/8, 1/8 हिस्सा की दर्ज है उसमें 1/8 हिस्सा वादीगण के है तथा जो प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/8 हिस्सा है उसके प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का बहिस्सा बराबर है। खसरा नंबर 43, 44 व 69 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की है, वादीगण का नाम हजफ किया जावे। खसरा नंबर 45 का 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की है तथा खसरा नंबर 66 से 68 व 70 की 1/4 हिस्सा की भूमि वादीगण की है तथा खसरा नंबर 169 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की है तथा खसरा नंबर 169 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की है तथा खसरा नंबर 2906 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की है तथा खसरा नंबर 2900 में 1/2 हिस्सा वादीगण का तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का है, इसी अनुसार दुरूस्ती कराने के अधिकारी है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जावे कि वाद में वर्णित भूमि जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 तथा मृतक नानगा के नाम खातेदारी में दर्ज है, के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज खातेदार काश्तकार है तथा ग्राम खण्डेला की भूमि खसरा नंबर 2897, 2855 की सम्पूर्ण भूमि वादी वादी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे तथा वादी संख्या 2 व 3 तथा प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हजफ किया जावे तथा वादी संख्या 2 व 3 तथा प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हजफ किया जावे तथा खसरा नंबर 2738 की भूमि वादी सं. 2 व 3 के 1/2, 1/2 हिस्सा की खातेदारी दर्ज कर शेष का नाम हजफ किया जावे तथा खसरा नंबर 2739 वादी संख्या 3 के 2740 की वादी सं. 2 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे तथा वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 का नाम हजफ किया जावे तथा खसरा नंबर 2898 की भूमि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज की जावे तथा वादीगण का नाम हजफ किया जावे ग्राम फतेहपुरा भोमियान की भूमि खसरा नंबर 143 व 323 की भूमि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे तथा वादीगण का नाम हजफ किया जावे तथा खसरा नंबर 325 की भूमि वादी सं. 3 के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 व वादी सं. 1 व 2 का नाम हजफ किया जावे तथा खसरा नंबर 62, 74 से 80, 103 से 106, 109 से 111, 113 व 116 की भूमि में वादीगण के 1/8 हिस्सा जो दर्ज है वह 1/8 हिस्सा वादी सं. 1 के खातेदारी में दर्ज की जावे तथा वादी सं. 2 व 3 का नाम हजफ किया जावे। मूला पुत्र नानगा हिस्सा 1/8 के स्थान पर मूला पुत्र रामू व मंगला पुत्र नानगा हिस्सा 1/8 दर्ज किया जावे तथा शेष रिकॉर्ड यथावत रहेगा। खसरा नंबर 43, 44 व 69 की भूमि में जो हिस्सा वादीगण के 1/8 दर्ज है, वह हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज किया जावे तथा वादीगण व नानूडी का नाम हजफ किया जावे। खसरा नंबर 45 रकबा 2.35 हैक्टेयर में वादीगण का व नानूडी का नाम हजफ कर उसके स्थान पर प्रतिवादी सं. 1 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे, खसरा नंबर 66 से 68 व 70 की भूमि में जो खातेदारी मूलाराम पुत्र रामू, मु. जोधी बेवा रामू, नानगा, छोटू पिता भज्जू के नाम है उसके स्थान पर उक्त भूमि की खातेदारी वादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज की जावे शेष रिकॉर्ड बदस्तूर रहेगा। खसरा नंबर 169 में 1/2 हिस्सा में वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज है उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज कर वादीगण का नाम हजफ किया जावे। खसरा नंबर 2900 रकबा 0.78 हैक्टेयर में जो हिस्सा वादीगण के 1/2 दर्ज है उसके स्थान पर वादी सं. 1 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे प्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

सं. 2 के जो 1/2 हिस्सा है उसमें प्रतिवादी सं. 1 का नाम साथ जोडा जावे तथा खसरा नंबर 2906 की भूमि रकबा 0.92 हैक्टेयर में से 11/45 हिस्सा की भूमि वादी सं. 1 के तथा 35/46 हिस्सा की वादी सं. 2 के नाम दर्ज की जावे तथा वादी सं. 3 व प्रतिवादी सं. 2 का नाम हजफ किया जावे। इसी भांति खातेदारी दर्ज कर डिक्री जारी की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत नहीं करे, सीवडोल नहीं तोडे तथा बेचान आदि नहीं करे। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 22.10.2014 के माध्यम से वादी वाद राजीनामा अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.10.2014 की अपील अपीलार्थी ने माननीय न्यायाल राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के समक्ष दिनांक 04.12.2019 को प्रस्तुत की। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा दिनांक 16.12.2019 को उक्त अपील माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर के यहां किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रेषित की गयी। माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा उक्त अपील में दिनांक 28.01.2020 को आदेश पारित कर अपील न्यायालय हाजा के यहां सुनवाई कर निर्णित किये जाने हेतु स्थानान्तरित की गई।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजीयात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की पैतृक मौरूसी भूमि है, जिनकी खातेदारी सैटलमेन्ट कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती से अकेले भग्गू के बडे पुत्र रामू उर्फ रामला के नाम गलत रूप से अंकित हो गयी। वादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को वाद में जरूरी पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया। अपीलार्थी छोटूराम की जायन्दा पुत्रियां होने से प्रथम श्रेणी की वारिस है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक छोटूराम के समस्त वारिसान की जांच नहीं की गई। विवादग्रस्त आराजीयात पैतृक भूमि होने से अपीलान्ट का आराजीयात में रेस्पोडेन्ट की भांति ही समान हक अधिकार है एवं अपीलान्ट आराजीयात में सह खातेदार है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी मिलीभगत कर राजीनामा कर, अधिनस्थ न्यायालय से वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है, जो प्रारंभ से ही शून्य एवं अपीलार्थी के खातेदारी अधिकारों के विरूद्व निष्प्रभावी है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.10.2014 खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2002 (1) पेज 257 पेश किया। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का खंडन करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट का विवादग्रस्त आराजीयात में कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपील देरी से प्रस्तुत की है, अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को निर्णय दिनांक से रही है किन्तु अपीलान्ट ने जानबूझकर देरी से अपील प्रस्तुत की है, जो मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादी के मध्य हुये राजीनामा अनुसार अपीलाधीन निर्णय सही पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत होने से खारिज फरमाई जावे।

4. वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

वादी/रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 लगायत 7 की ओर से एक वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवम् स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया गया कि प्रश्नगत आराजीयात रामू, नानगा व छोटू की खाते की आराजीयात थी। वाद में प्रतिवादीगण के उपस्थित आने पर एक प्रार्थना पत्र पक्षकारान् की ओर से बाबत राजीनामा प्रस्तुत हुआ, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.10.2014 के द्वारा पक्षकारान् के मध्य प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजीनामा को स्वीकार कर राजीनामा के आधार पर वाद को डिक्री किया जाकर पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिसके विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष यह अपील वादीगण की बहनों अर्थात वादीगण के पिता छोटूराम की पुत्रियों की ओर से प्रस्तुत की गई, जिसमें अंकित किया गया कि अपीलार्थीगण वादीगण की बहने एवम् छोटूराम की पुत्रियां है, चूंकि वादीगण छोटूराम के वारिस होने की वजह से उसके खाते की आराजीयात के सन्दर्भ में अन्य सहखातेदार के विरूद्व वाद प्रस्तुत किया है जिसमें अपीलार्थीगण के हक होने से अपीलार्थीगण को पक्षकार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं बनाया जाकर वाद में वादीगण एवम् प्रतिवादीगण ने मिलीभगत कर अपीलार्थीगण के अधिकारों के विरूद्व वाद को डिक्री करवा लिया गया। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया है, चूंकि उपरोक्तानुसार प्रार्थी/अपीलार्थी प्रकरण में हितधारी पक्षकार है, अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् स्वीकृति अपील स्वीकार किया जाकर अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जाती है। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में यह भी निवेदन किया था कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री आपसी मिलीभगत से प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर पारित किये गये है, जो प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी होने से निरस्तनीय है। अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा इस सन्दर्भ में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी 2002 (1) पेज 257 उद्रित किया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस मात्र यह आपत्ति दर्ज कराई है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत की है जबकि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपीलार्थीगण को प्रारम्भ से जानकारी थी, अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। उपरोक्त बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी की बहस एवम् अपील में अंकित तथ्यों को इस बिन्दु पर कतई नहीं नकारा गया है कि अपीलार्थीगण वादीगण की बहने एवम् मूल खातेदार छोटूराम की पुत्रियां है एवम् अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया जाकर उक्त वाद में जो राजीनामा किया गया है, वह स्पष्ट रूप से आपसी मिलीभगत से प्रस्तुत किया गया है जो अपीलार्थीगण के हितों के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। जहां तक अपील मियाद बाहर प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है तो अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस जो नजीर आर.आर.टी. 2002 पेज 257 उद्रित की है, उसमें माननीय राजस्व मंडल द्वारा स्पष्ट रूप से मत प्रतिपादित किया गया है कि कोई भी आदेश जो प्रारम्भिक रूप से प्रभावशून्य होता है वह किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है उसमें मियाद का बिन्दु प्रभावी नहीं होता। विचाराधीन प्रकरण में चूंकि अपीलार्थीगण हितधारी पक्षकार है एवम् उन्हें पक्षकार बनाये बिना जो राजीनामा किया गया है वह प्रारम्भिक रूप से ही शून्य प्रभावी होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 22.10.2014 खारिज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अपील

5. अतः अपीलान्ट स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 22.10.2014 खारिज किये जाते है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वाद में अपीलार्थीगण को पक्षकार वाद समायोजित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान कर, प्रकरण का विधिवत् निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 09/9/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर